रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 1975/चैत्र 14, 1897
No. 91] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 1975/CHAITRA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April 1975

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Vegetable Oil Products Control Order 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Amendment Order 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order 1972,—

(1) in sub-clause (1),—

(a) in paragraph (a), after item (viii), the following items shall be inserted, namely:—

"(ix) Mahua oil

(x) Nigerseed oil

(xi) Watermelon seed oil";

(b) in paragraph (b), for the letter and figures "A. 17.06", the letters and figures "A 17.05, A. 17.12" shall be substituted;

(2) in sub-clause (2), in paragraph (a), item (iii) "Refined nigerseed oil" shall be omitted.

[No. 9-VP(1)/74]

S. V. SAMPATH,
Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 190 (अ).—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी का मानक) आदेश 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी का मानक) संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी का मानक) आदेश, 1972 के खण्ड 2 में,—

(1) उपखण्ड (1) में—

(क) पैरा (क) में, मद (viii) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

(ix) महुआ का तेल

(x) नाइगर सीड तेल

(xi) तरबूज के बीज का तेल;

(ख) पैरा (ख) में "क. 17.06" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "क. 17.05, क. 17.12" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(2) उपखण्ड (2) में, पैरा (क) में, मद (iii) में "परिष्कृत नाइगर सीड-तेल" का लोप किया जाएगा।

[सं० 9-वी०पी० (1)/74]

एस० वी० सम्पथ,
भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रक।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975